फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

मनोज कूलवाल बनाम गजानन्द कूलवाल

केस संख्या : 07 /2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
22.12.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट के प्रतिनिधि उपस्थित है। अपीलान्ट ने माता–पितां और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी बस्सी के प्रकरण संख्या 43/2021 व उनवानी गजानन्द कूलवाल बनाम मनोज कूलवाल में पारित आदेश दिनांक 14.10.2021 के विरूद्व यह अपील पेश की गई है। अपीलार्थी का कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच ने उनवानी माया देवी व अन्य बनाम विश्वेश्र दयाल व अन्य में दिनांक 01.05.2023 को आदेश पारित किया गया है जिसके अनुसार है यह अपील सुनवाई क्षेत्राधिकार में है। अपीलान्ट को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 16 में केवल अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता को ही अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर ने एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 11941/2021 आदेश दिनांक 01.05.2023 की प्रति एडीशनल सोलीसीटर जनरल को अधिनियम में परिवर्तन कराने के लिए प्रेषित की है। यह अपील प्रत्यर्थी के पुत्र द्वारा पेश की गई है। जब तक अधिनियम में इस बाबत आवश्यक परिवर्तन नहीं हो जाता या सक्षम मान्य न्यायालय द्वारा निर्देश नहीं दिये जावे तब तक पुत्र द्वारा अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील सुनवाई हेतु ग्रहण योग्य नहीं है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज कीं जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चारःजोई करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर ग्रामीण	

Scanned with OKEN Scanner